—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 111/2018

उनवान

छोटी पत्नी लखा जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद

——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मीरा पत्नी बाबू
2. महबूब खान पुत्र बाबू
3. अशरफ खान पुत्र बाबू
4. हबीब पुत्र बाबू
5. नवाब पुत्र बाबू
6. सलीम पुत्र बाबू
7. शहीदा पुत्री बाबू
8. हमीदा पुत्री बाबू
9. पीरू पुत्र अन्ना समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद
10. दी मैनेजर एसबीआई शाखा मांगलियावास
11. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 10 अनुपस्थित,
11 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 26.12.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 803 रकबा 0—18—0 के हाल खसरा नम्बर 849 रकबा 0.08 व 850 रकबा 0.07 की आराजी बाबू पुत्र हजारी की खातेदारी थी। जिसने दिनांक 05.01.1979 को आराजी मुतनाजा को विक्रय को कर कब्जा व दखल सौप दिया था। उक्त दिनांक से वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त आराजी प्रतिवादीगण के पति/पिता के नाम खातेदारी थी जिनके द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर आराजी का बैचान किया गया। उक्त आराजी विक्रय पत्र की पालना में वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा ऋण प्राप्त कर लिया गया है। हाल राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त [illegible] है तथा भूमि को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा [illegible] वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया [illegible]।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] जरियें नोटिस तल[illegible] गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 10 प्रकरण में अनुपस्थित रहे [illegible]ज. पैरोकार ने जवाब [illegible] करना

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

जाहिर किया।
प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी :–

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र अनुसार ग्राम भीमपुरा के वंर्किग खसरा नम्बर 803 रकबा 0–18–0 की आराजी तत्कालीन खातेदार बाबू पुत्र हरजी ने जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.01.1979 को वादी छोटी पत्नी लखा जाति मेहरात को बैचान कर दी थी। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 390/178 में वंर्किग खसरा नम्बर 803 रकबा 0–18–0 बाबू पुत्र हरजी व पीरू पुत्र अन्ना के नाम गैर खातेदारी दर्ज था, जो नामान्तकरण संख्या 104 दि।न्ज्ञक 26.06.1992 से खातेदारी दर्ज हुयी। मिलान श्रेत्रफलके अनुसार वंकिग खसरा नमबर 803 के हाल खसरा नम्बर 849 रकबा 0.08 व 850 रकबा 0.07 बने है जो हाल राजस्व अभिलेख में बाबू के वारिसान व पीरू पुत्र अन्ना के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादीगण के पिता/पति द्वारा आराजी मुतनाजा की पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि का विक्रय वादी को कर दिया था। प्रतिवादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के विरूद्व कोई चाराजोही नही की गयी है। विक्रेता विक्रय दिनांक को आराजी मुतनाजा के खातेदार नही थे राज्य सरकार द्वारा भू संशोधन जमाबंदी की मान्यता समाप्त कर दी गयी। भू. आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी पुनः भू संशोधन के खातेदार के नाम आवंटित की गयी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। तथा खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। किन्तु प्रतिवादीगण के पिता द्वारा उक्त आराजी का बैचान पूर्व में ही किया जा चुका है। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 43 के अनुसार **"जहां कि कोई व्यक्ति कपट पूर्वक या, भूलवश यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर सम्पत्ति को अन्तरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी सम्पत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रव्यंजना करता है वहां ऐसा अन्तरण अन्तरिती के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अन्तरक ऐसी सम्पत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अन्तरण की संविदा अस्तित्व में रहती है।** इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा पर विक्रेता को बाद में खातेदारी प्राप्त होने से उसके द्वारा किया गया विक्रय वैध है। राज0 पैरोकार द्वारा वाद का खण्डन नही किया गया है। प्रतिवादीगण के पिता/पति द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान कर कब्जा व दखल सौप दिये जाने से उनके खातेदारी अधिकारो का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। हाल राजस्व अभिलेख में भूमि त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी है, जिस कारण उक्त आराजी पर ऋण भी प्राप्त कर लिया गया है। किन्तु भूमि का विक्रय पूर्व में हो जाने के कारण बैंक द्वारा दिया गया ऋण वादी के हितों पर बेअसर है। वादी आराजी मुतनजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 849 रकबा 0.08 व 850 रकबा 0.07 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:48 IST
Reason: SelfAttested

——3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:48 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छोटी बनाम मीरा

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 111/2018
पेश करने की दिनांक – 26.07.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भीमपुरा के हाल खसरा नम्बर 849 रकबा 0.08 व 850 रकबा 0.07 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26 माह 12 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद